सं0-11034/15/2015-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी'विंग, चौथा तल,

जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिकारियो/ कार्मिको की सहभागिता ।

प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाएं जाने के संबंध में विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क.1) दिनांक 21.4.1987 तथा दिनांक 23.9.1987 के अनुक्रम में हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/ कार्मिकों की सहभागिता के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

I. इन प्रतियोगिताओं में इसके आयोजनकर्त्ता/ हिंदी अनुभाग/प्रभाग तथा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा कैडर के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सभी संवर्ग के नियमित अधिकारी/ कर्मचारी/ नियमित एम.टी.एस. भाग ले सकते हैं ।

II. जिन अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती हिंदी आशुलिपिक/ टंकक के रूप में हुई है, वे हिंदी आशुलिपि/ टंकण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, तथापि अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं ।

2. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा ।

3. इसे सचिव (रा.भा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(डा. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष. 23438250

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस संबंध में जारी किए जाने वाले परिपत्र / कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त दिशा-निर्देश को सम्मिलित करने के लिए ।

2. निदेशक (तकनीकी) एन.आई.सी., राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवा दें ।